पत्र सं०–6 एस०एस०(6)07/2022– 1387 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :– *आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

पटना–15, दिनांक– 24/3/2025.

विषयः– राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 1000.00 लाख (रुपये दस करोड़) मात्र के अनुमानित व्यय पर कॉम्फेड अंतर्गत दुग्ध समितियों में उन्नत स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाईयों के स्थापना की योजना की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 1000.00 लाख (रुपये दस करोड़) मात्र के अनुमानित व्यय पर कॉम्फेड अंतर्गत दुग्ध समितियों में उन्नत स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाईयों के स्थापना की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप के तहत गव्य प्रक्षेत्र के विकास के लिए योजनाएँ लागू की जा रही है, जिसे राज्य के दूध उत्पादन में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2007 में राज्य का दूध उत्पादन 57.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष था, जो तृतीय कृषि रोड मैप 2017–23 में 125 लाख मीट्रिक टन पहुँच गया है। वर्तमान में कॉम्फेड की लगभग 19000 दुग्ध समितियाँ क्रियाशील हैं इनमें से लगभग 10000 दुग्ध समितियों में दूध प्राप्ति हेतु स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाईयाँ स्थापित हैं। कॉम्फेड द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब सभी दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा आपूर्त्ति किये गए दूध की कीमत का भुगतान सीधे उनके बैंक खाता में किया जाना है, जिसके लिए उन्नत स्वचालित दूध संग्रहण इकाईयों की स्थापना करना होगा एवं उन्हें केन्द्रीयकृत सर्वर से जोड़ा जाना होगा, जिससे प्रत्येक दूध उत्पादक द्वारा दिये जानेवाले दूध की मात्रा, गुणवत्ता तथा उनके मूल्यों की गणना कर आंकड़ों को संग्रहित किया जाना है।

3) योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी गाँवों तक दुग्ध समितियों में बड़ी संख्या में स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाईयों की स्थापना करना तथा पुरानी मशीनों में भी दूध

उत्पादकों को उनके बैंक खाते में भुगतान (DBT) हेतु कुछ उपकरणों की स्थापना करना है।

4) वर्तमान में कॉम्फेड की लगभग 19000 दुग्ध समितियाँ क्रियाशील हैं इनमें से लगभग 10000 दुग्ध समितियों में दूध प्राप्ति हेतु स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाईयाँ स्थापित हैं। कॉम्फेड द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब सभी दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा आपूर्त्ति किये गए दूध की कीमत का भुगतान सीधे उनके बैंक खाता में किया जाना है, जिसके लिए उन्नत स्वचालित दूध संग्रहण इकाईयों की स्थापना करनी होगी एवं उन्हें केन्द्रीयकृत सर्वर से जोड़ा जाना होगा, जिससे प्रत्येक दूध उत्पादक द्वारा दिये जानेवाले दूध की मात्रा की गुणवत्ता तथा गुणवत्ता के आधार पर उनके मूल्यों की गणना कर आंकड़ों को संग्रहित किया जायेगा।

5) कॉम्फेड द्वारा नये उन्नत स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाईयों की स्थापना 1.00 लाख प्रति इकाई की दर से किया जाना है।

6) इस योजना के तहत योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।

7) इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, गव्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

8) इस योजना अंतर्गत कॉम्फेड, पटना को राशि का भुगतान सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी कर एकमुस्त कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में किया जायेगा।

9) इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी कर निदेशक, गव्य द्वारा कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्फेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।

10) सामान्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष–0115 –गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विषय शीर्ष–0115.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड 02–2404001020115 के तहत योजना उद्व्यय एवं तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंधित राशि 1000.00 लाख मात्र व्यय किया जायेगा।

11) निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

12) चूकि यह स्कीम एक चालू स्कीम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस० (6)07 / 2022 के पृष्ठ–13 / टि०, दिनांक–21.03.2025.

13) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)07 / 2022 के पृष्ठ–14 / टि०, डायरी संख्या–शून्य, दिनांक–22.03.2025.

14) वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में योजना में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2022– 1387 / पटना–15,दिनांक– 22/3/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (योजना शाखा / बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2022– 1387 / पटना–15,दिनांक– 22/3/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2022– 1387 / पटना–15,दिनांक– 22/3/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना / निदेशक, गव्य बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2022– 1387 / पटना–15,दिनांक– 22/3/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय, बिहार, पटना के बजट शाखा / योजना शाखा / लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07/2022– 1387 /पटना–15,दिनांक– 22/3/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ/महालेखापरीक्षा, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07/2022– 1387 /पटना–15,दिनांक– 22/3/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07/2022– 1387 /पटना–15,दिनांक– 22/3/2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/25

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 1000.00 लाख (रुपये दस करोड़) मात्र के अनुमानित व्यय पर कॉम्फेड अंतर्गत दुग्ध समितियों में उन्नत स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाईयों के स्थापना की योजना।

(राशि रुपये लाख में)

क्र0	विपत्र कोड / विषय शीर्ष	योजना की विवरणी	भौतिक लक्ष्य	कुल लागत	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
1	विपत्र कोड 02–2404001020115, विषय शीर्ष 31–05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	नये उन्नत स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाईयों की स्थापना 1.00 लाख प्रति इकाई की दर से।	1000.00	1000.00	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना / प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
		योग :–		**1000.00**		

कुल रुपये (दस करोड़) मात्र।

1387
22/3/2025

22/3/25

सरकार के अपर सचिव